हिन्दी प्रादेशिक समाचार

आकाशवाणी चंडीगढ़

(तिथि 01 अप्रैल 2026, समय 18:10 (10 मिनट)

1. केंद्र सरकार ने कहा - देश में सभी प्रकार की फसलों के बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध, कृषि रसायनों की भी कमी नहीं।

2. केन्द्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा - खुदरा दुकानों पर इंधन की कोई कमी नहीं ।

3. हरियाणा सरकार ने अनाज मंडियों में किसानों को दी जाने वाली कच्ची पर्ची की व्यवस्था पर रोक लगाई ।

4. हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों के कार्य घंटे और सुरक्षा को लेकर सख्त नियम लागू किए।

5. हरियाणा की अतिरिक्त मुख्य सचिव जी अनुपमा ने कुरुक्षेत्र जिले के विभिन्न अनाज मंडियों में खरीद व्यवस्थाओं का जाएजा लिया।

6. हिसार जिले में 38 खेल विभागीय नर्सरियाँ शुरू की गईं ।

पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच सरकार ने आज आश्वासन दिया कि देश में सभी प्रकार की फसलों के बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रमों पर नई दिल्ली में आयोजित अंतरमंत्रालयी बैठक में कृषि और किसान कल्याण विभाग की अपर सचिव डॉ. मनिंदर कौर द्विवेदी ने बताया कि देश भर में खरीफ फसलों के 185 लाख क्विंटल से अधिक बीज उपलब्ध हैं। अपर सचिव ने कहा कि देश में कृषि रसायनों की भी पर्याप्त उपलब्धता है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में कच्चे तेल का वर्तमान में पर्याप्त भंडार है।

हरियाणा सरकार ने प्रदेश की अनाज मंडियों में किसानों को दी जाने वाली 'कच्ची पर्ची' व्यवस्था पर रोक लगा दी है। यह कार्रवाई पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में दायर एक जनहित याचिका पर हुई सुनवाई के बाद की गई है। उल्लेखनीय है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के पूर्व मुख्य वैज्ञानिक डॉ. वीरेंद्र सिंह लाठर द्वारा दायर इस जनहित याचिका में हरियाणा की मंडियों में प्रचलित 'कच्ची पर्ची' प्रणाली पर सवाल उठाते हुए इसे तुरंत बंद करने की मांग की गई थी।

अधिवक्ता प्रदीप रापड़िया ने आकाशवाणी को बताया कि मामले की सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने हरियाणा सरकार को निर्देश दिया था कि वह 30 दिनों के भीतर शिकायत पर स्पष्ट और ठोस आदेश जारी करे। न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में आज राज्य सरकार ने सभी मंडी समितियों के सचिवों को यह निर्देश जारी किए हैं।

अधिवक्ता ने बताया कि मौजूदा 'कच्ची पर्ची' प्रणाली के चलते किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य नहीं मिल पाता था।

हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों के कार्य घंटे और सुरक्षा को लेकर सख्त नियम लागू कर दिए हैं। श्रम विभाग द्वारा जारी नई अधिसूचना के अनुसार किसी भी कर्मचारी से प्रतिदिन 10 घंटे और सप्ताह में 48 घंटे से अधिक काम नहीं लिया जा सकेगा। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट -

नए नियमों में महिला कर्मचारियों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक महिलाओं से काम लेने के लिए संस्थानों को अलग से अनुमति लेनी होगी। यह अनुमति ऑनलाइन और स्व प्रमाणित आधार पर दी जाएगी। आराम के समय सहित किसी भी कर्मचारी की कुल कार्य अवधि 12 घंटे प्रतिदिन से अधिक नहीं होगी। साथ ही, हर 6 घंटे के काम के बाद कम से कम आधे घंटे का विश्राम देना अनिवार्य किया गया है। यदि किसी कर्मचारी से ओवरटाइम करवाया जाता है तो उसे सामान्य वेतन के मुकाबले दोगुना भुगतान करना होगा। इसके अलावा सभी श्रम कानून का पालन करना अनिवार्य रहेगा।

सरकार ने दुकानों और व्यावसायिक संस्थानों को खोलने और बंद करने के तय समय तथा साप्ताहिक अवकाश की अनिवार्यता से छूट दे दी है। अब ऑनलाइन पंजीकरण और स्व प्रमाण वाले संस्थान अपनी सुविधा अनुसार कार्य समय निर्धारित कर सकेंगे। हालांकि कर्मचारियों के कार्य घंटे और अन्य श्रम कानून पहले की तरह लागू रहेंगे।

हरियाणा सरकार की अतिरिक्त मुख्य सचिव जी अनुपमा ने आज कुरुक्षेत्र जिले की विभिन्न अनाज मंडियों का निरीक्षण किया।

अतिरिक्त मुख्य सचिव ने मंडियों में गेट पास, बायोमेट्रिक प्रणाली और फसल की गुणवत्ता जांच व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य किसानों के सुविधाजनक प्रवेश, फसल के पंजीकरण, गुणवत्ता जांच, खरीद प्रक्रिया और उठान आदि कार्यों का सुचारु कार्यान्वयन सुनिश्चित करना है।

उन्होंने बताया कि सरकार की ओर से जारी नए ऐप से किसानों के लिए पंजीकरण और फसल संबंधी जानकारी लेना आसान हग। इससे पारदर्शिता भी बढ़ेगी।

उन्होंने बताया कि मंडी प्रशासन द्वारा किसानों की सहायता के लिए हेल्प डेस्क भी स्थापित किए गए हैं, ताकि किसी भी समस्या का शीघ्र समाधान किया जा सके।

पलवल अनाज मंडी में आज से गेहूं की खरीद शुरू हो गई है। मंडी समिति के अध्यक्ष पंकज विरमानी ने बताया-

उन्होंने कहा कि किसान फसल को साफ व सुखाकर लेकर आए ताकि फसल में नमी कम हो और फसल खरीद के दौरान कोई परेशानी नहीं हो।

हिसार जिले में आज से 38 विभागीय खेल नर्सरियां शुरू हो गई हैं। जिला खेल अधिकारी नरेश कुमार ने बताया -

----

हरियाणा के राजकीय स्कूलों में आज से "आओ स्कूल चले हम अभियान" प्रवेश उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। शिक्षा विभाग ने बताया कि इसका उद्देश्य अभिभावकों को अपने बच्चों का राजकीय स्कूलों में दाखिला करवाने के लिए प्रोत्साहित करना है। जींद से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिला जींद के गांव रधाना के राजकीय सेकेंडरी स्कूल में प्रवेश दिवस मनाया गया। स्कूल के प्रवेश द्वार पर ही दाखिला लेने आए बच्चों का फूल मालाओं एवं तिलक लगाकर तथा मिठाई खिलाकर स्वागत किया गया। स्कूल के मुख्याध्यापक रोहतास खर्ब ने बताया कि विभाग के आदेश अनुसार पूरे अप्रैल माह में प्रवेश उत्सव मनाया जाना है और आज इस का शुभारंभ किया गया है।

हरियाणा सरकार की मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत महाराष्ट्र के नांदेड में श्री हजूर साहिब के लिए 5 मई को कुरुक्षेत्र से विशेष रेलगाड़ी रवाना होगी। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी प्रदेश के विभिन्न जिलों से संगत को दर्शन के लिए लेकर जाने वाली इस विशेष रेल को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक, जिनकी पारिवारिक आय एक लाख 80 हजार रुपए से कम है, मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसके सरल हरियाणा पोर्टल पर 15 अप्रैल तक पंजीकरण किया जा सकता है।

हरियाणा सरकार ने संयुक्त कैडर ग्रुप-डी के चयनित 13 हजार 246 कर्मचारियों का बायोमेट्रिक सत्यापन कराने का निर्णय लिया है। इन कर्मचारियों का बायोमेट्रिक सत्यापन राज्य के विभिन्न मंडलों में मंडल आयुक्तों तथा पंचकूला में उपायुक्त स्तर पर किया जाएगा। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अंबाला मंडल में 20 अप्रैल, को करनाल मंडल में 21 अप्रैल को रोहतक मंडल में 22 और 23 अप्रैल को और हिसार मंडल में 24 और 27 अप्रैल को बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाएगा। इसी तरह फरीदाबाद मंडल में 28 अप्रैल को और गुरुग्राम मंडल में 29 अप्रैल को अभ्यर्थियों का सत्यापन किया जाएगा। पंचकूला में 30 अप्रैल को 664 अभ्यर्थियों का बायोमीट्रिक सत्यापन होगा। इनमें चंडीगढ़, पंचकूला तथा विभिन्न विभागों एवं मंडल आयुक्त कार्यालयों से सम्बद्ध शेष अभ्यर्थी शामिल होंगे।